NHRC holds public hearing on human rights breaches in 5 Northeastern states

https://english.newstracklive.com/news/nhrc-holds-public-hearing-on-human-rights-breaches-in-5-northeastern-states-sc1-nu318-ta318-1193481-1.html

In December, the National Human Rights Commission (NHRC) will convene a public hearing to hear people's complaints about alleged human rights violations in five northeastern states: Assam, Arunachal Pradesh, Tripura, Manipur, and Sikkim.

Officials in Imphal said on Friday that the Commission will convene a two-day public hearing on December 15 and 16, and that the Registrar has invited citizens to file their complaints by November 20. The location of the public hearing will be announced shortly. The NHRC has lately requested Action Taken Reports from Assam's Director General of Police on suspected "false encounters" in the state since May this year, based on a complaint filed by Delhi-based lawyer Arif Jwadder.

Since early May, when police opened fire on them as the "accused reportedly tried to escape from detention or during operations," more than 24 people have been murdered and approximately 40 others have been injured.

Lawyer Jwadder had already filed a complaint with the National Human Rights Commission, stating that "police have killed several accused persons in the name of encounters" since May.

बहादुरगढ़: 20 हजार करोड़ का नुकसान झेल चुके उद्यमियों के चेहरे खिले, कृषि कानून वापस लेने के एलान का किया स्वागत

https://www.amarujala.com/haryana/entrepreneurs-of-bahadurgarhs-welcomed-the-decision-of-prime-minister-narendra-modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा पर क्षेत्र के उद्यमियों ने भी खुशी जताई है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ साल भर से चल रहे आंदोलन के कारण लगभग 20 हजार करोड़ का नुकसान झेल चुके उद्यमियों को अब उम्मीद है कि आंदोलन खत्म होगा और उनके उद्योग धंधे सुचारू हो जाएंगे। आंदोलन खत्म होगा तो टीकरी बॉर्डर से दिल्ली आवागमन सुगम हो जाएगा और उनका व्यापार दौड़ेगा। लाखों लोगों को रोजगार चलाने में आ रही बाधा खत्म हो जाएगी। दरअसल पिछले साल 26 नवंबर को शुरू हुए आंदोलन की वजह से बहादुरगढ़ के छोटे-बड़े करीब 7 हजार उद्योगों को सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है।

ये भी पढ़ें-हरियाणा: दो माह बढ़ा जस्टिस एसएन अग्रवाल आयोग का कार्यकाल, राज्यपाल की मंजूरी के बाद गृह सचिव ने जारी की अधिसूचना

लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है। दिल्ली से कच्चा माल लाने व तैयार माल ले जाने के लिए अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है। यहां की करीब 1600 फैक्ट्रियां कई माह तक तकरीबन बंद पड़ी रहीं। इससे उद्यमियों को काफी नुकसान हो रहा था। उद्योगपति रास्ते खुलवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी गुहार लगा चुके हैं।

टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के कारण उद्योगों को बहुत कठिनाई हो रही है। किसानों की नाराजगी का कारण बने तीन कृषि सुधार कानूनों को अब वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री का सही निर्णय है। आंदोलन खत्म हो जाए तो बहादुरगढ़ के उद्योग धंधे सुचारू हो जाएंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां की प्रगति होगी।-आरबी यादव, उद्योग सलाहकार, बहादुरगढ़

ये भी पढ़ें-कृषि कानून वापसी के एलान पर बोलीं कुमारी सैलजा-किसानों पर सरकार ने किए अत्याचार, पीएम मोदी मांगें माफी

पीएम मोदी की घोषणा से उद्यमियों व कामगारों में खुशी है। हम एक साल से नुकसान झेल रहा था। कामगार भी परेशान थे। रोजगार भी खत्म हो रहा था। मगर अब आंदोलन खत्म होगा तो यह उम्मीद है। इससे जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई व्यापार पटरी पर आने के बाद होगी। -वरिंदर कुमार, वाइस प्रेजिडेंट, रिलेक्सो फुटवियर, बहादुरगढ़

ये भी पढ़ें-तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अनिल विज बोले: घर जाकर अपने नियमित काम करें किसान, पीएम का जताएं आभार

पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा करके हर वर्ग को खुशी दी है। यह किसानों की जीत है। अब हमें भी उम्मीद है कि आंदोलन खत्म होगा और उनका व्यापार भी अच्छा चलेगा।-नरिंदर छिकारा, वरिष्ठ उप प्रधान, बहादुरगढ़ फुटवियर पार्क एसोसिएशन

मरीजों के अधिकार व कर्तव्यों की दी जानकारी

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/chandauli/story-information-given-about-the-rights-and-duties-of-patients-5125501.html

ग्राम्या संस्थान हेल्थवाच फोरम एवं आक्सफैम की ओर से मरीजों के अधिकार एवं कर्तव्यों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को बसौली गांव में समुदाय के लोगों के साथ बैठक कर मरीजों के अधिकार और उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गयी।

संस्थान के त्रिभुवन ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों के लिए मरीजों का अधिकार कानून बनाया गया है। आरोप लगाया कि इस कानून का जिले में पालन नही हो रहा है। जागरूकता के अभाव में इस कानून के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है। प्राइवेट अस्पताल संचालकों की ओर से मनमाने तरीके से धन उगाही कर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं दी जाती है। मरीजों के अधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा है। इसके लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। ताकि मरीजों के अधिकार सुनिश्चित हो सके। कहा कि किसी भी मरीज को कोई भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल अपने यहां इलाज के लिए विवश नहीं कर सकता। बैठक में अमरावती, सोनी, समीता सोना, छोटेलाल, विमली, विजय कुमार, रामविलास आदि मौजूद रहे।

NHRC to hold public hearing on human rights violations in 5 NE States

https://www.thesangaiexpress.com/Encyc/2021/11/20/GUWAHATI-Nov-19The-National-Human-Rights-Commission-NHRC-would-hold-a-public-hearing-in-Decemb.html

The National Human Rights Commission (NHRC) would hold a public hearing in December on grievances of the people on the alleged violation of human rights in five northeastern States — Assam, Arunachal Pradesh, Tripura, Manipur and Sikkim. Officials in Imphal said on Friday that the Commission would hold a two-day public hearing on December 15 and 16.

The NHRC Registrar asked the people to file their complaints to the commission by November 20.

The venue of the public hearing would be notified soon.

Acting on a complaint filed by a Delhi-based lawyer Arif Jwadder, the NHRC has recently sought action taken reports, within four weeks, from Assam's Director General of Police on alleged "fake encounters" in the State since May this year. More than 24 accused have been killed and around 40 others injured since early May when police fired on them as the "accused allegedly tried to escape from custody or during operations". Lawyer Jwadder had earlier lodged a complaint to the NHRC, alleging "police killed many accused persons since May in the name of encounters". North East Now

Shadnagar encounter: Police lawyers point to NHRC team 'threats'

https://www.newindianexpress.com/states/telangana/2021/nov/19/police-lawyers-point-to-nhrc-team-threats-2385535.html

Advocates T Balamohan Reddy and Shaik Mastan Vali appearing for the police party involved in the encounter, presented their arguments on Thursday.

T Balamohan Reddy appearing for D Janakiram, Balu Rathod and D Srikanth who were handlers of the accused, submitted that his clients were threatened and coerced by the NHRC team while recording the facts.

The commission asked him to show from the affidavits of his clients if they had mentioned any threats to them by the NHRC team. He submitted that there is no mention in their affidavits, but Srikanth during his deposition before the commission stated that he was admonished by the team, which is nothing but a threat.

Delhi Confidential: Honour, A Gesture

https://indianexpress.com/article/delhi-confidential/national-human-rights-commission-arun-mishra-7632032/

The National Human Rights Commission inaugurated a new seminar hall at its Manav Adhikar Bhawan office in the national capital. Although Chairperson and former Supreme Court judge Arun Mishra was slated to cut the ribbon for the new hall, Vimla, a housekeeping staffer, was called in last minute to inaugurate the hall. As the premier human rights body, the gesture was to recognise efforts of everyone present, irrespective of rank, officials said.

The National Human Rights Commission Would Hold a Public Hearing in December

https://www.latestly.com/socially/india/news/the-national-human-rights-commission-would-hold-a-public-hearing-in-december-latest-tweet-by-ians-india-3071616.html

The latest Tweet by IANS India states, 'The National Human Rights Commission would hold a public hearing in December on grievances of the people on the alleged violation of human rights in five northeastern states -- #Assam, #ArunachalPradesh, #Tripura, #Manipur and #Sikkim.'

एनएचआरसी 5 पूर्वोत्तर राज्यों में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर करेगा०ा जन सुनवाई

https://deshbandhu.co.in/news/nhrc-to-hold-public-hearings-on-human-rights-violations-in-5-northeastern-states-271668-1

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) पांच पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर लोगों की शिकायतों पर दिसंबर में एक जन सुनवाई करेगा। इंफाल में अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि आयोग 15 और 16 दिसंबर को दो दिवसीय जनसुनवाई करेगा और इसके रजिस्ट्रार ने लोगों से 20 नवंबर तक आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराने को कहा है।

जनसुनवाई के स्थान के बारे में जल्द ही सूचित किया जाएगा।

दिल्ली के एक वकील आरिफ जवादर द्वारा दायर एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एनएचआरसी ने हाल ही में असम के पुलिस महानिदेशक से इस साल मई से राज्य में कथित फर्जी मुठभेड़ों पर चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

मई की शुरूआत से 24 से अधिक आरोपी मारे गए हैं और लगभग 40 अन्य घायल हो गए, यह उस वक्त हुअ जब 'अभियुक्तों ने कथित तौर पर हिरासत से या ऑपरेशन के दौरान भागने की कोशिश की' इस दौरान पुलिस ने उन पर गोलियां चलाईं।

वकील जवादर ने पहले एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि "पुलिस ने मुठभेड़ों के नाम पर मई से कई आरोपी व्यक्तियों को मार डाला।"

News Nation/ Doon Horizon/ News Today Network

एनएचआरसी 5 पूर्वोत्तर राज्यों में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर करेगा०ा जन सुनवाई

https://www.newsnationtv.com/india/news/national-human-right-commiion-227259.html

https://doonhorizon.in/india/%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%8F%E0%A4%9A%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%80-5-%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%89%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%98%E0%A4%A8/cid5788210.htm

https://newstodaynetwork.com/anothernews/%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%8F%E0%A4%9A%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%80-5-%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%89%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%82%E0%A4%98%E0%A4%A8/cid5788199.htm

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) पांच पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर लोगों की शिकायतों पर दिसंबर में एक जन सुनवाई करेगा।

इंफाल में अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि आयोग 15 और 16 दिसंबर को दो दिवसीय जनसुनवाई करेगा और इसके रजिस्ट्रार ने लोगों से 20 नवंबर तक आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराने को कहा है।

दिल्ली के एक वकील आरिफ जवादर द्वारा दायर एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एनएचआरसी ने हाल ही में असम के पुलिस महानिदेशक से इस साल मई से राज्य में कथित फर्जी मुठभेड़ों पर चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

मई की शुरूआत से 24 से अधिक आरोपी मारे गए हैं और लगभग 40 अन्य घायल हो गए, यह उस वक्त हुअ जब अभियुक्तों ने कथित तौर पर हिरासत से या ऑपरेशन के दौरान भागने की कोशिश की इस दौरान पुलिस ने उन पर गोलियां चलाईं।

वकील जवादर ने पहले एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने मुठभेड़ों के नाम पर मई से कई आरोपी व्यक्तियों को मार डाला।